

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन
अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक / जउयो / 01 / 2019-20 / 9654
प्रति,

अटल नगर रायपुर दिनांक 21 / 1 / 2020

कलेक्टर,

जिला (छ0ग0)

विषय :- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित-2016) वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको विगत वर्षों में आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित-2016 नियम) की प्रति एवं योजना का प्रचार-प्रसार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

आदिम जाति/अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित-2016) योजना की कंडिका 11 अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु जिला स्तर पर चयन परीक्षा आयोजित कर चयन किया जाना है। अतएव योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु दिनांक 07.03.2020 को समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. प्रवेश परीक्षा संबंधी पात्रता एवं आवेदन पत्र को पर्याप्त मात्रा में छपाकर शालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था एक सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाए।
2. परीक्षा तिथि के पर्याप्त पूर्व परीक्षा केन्द्र का चयन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे।
3. प्रश्न पत्रों का सील्ड बंद लिफाफा दिनांक 04.03.2020 को कार्यालय आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर से वितरण किया जाएगा। अतः इस हेतु किसी जिम्मेदार अधिकारी को अधिकृत रूप से बड़ा थैला/बॉक्स तथा सीलबंद करने हेतु चपड़ा इत्यादि सामग्री के साथ भेजा जाए।
4. सहायक आयुक्त, दो शिक्षक एवं एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा प्रारंभ समय से 20 मिनट पूर्व बंद लिफाफा खोला जाकर, हस्ताक्षरयुक्त लिफाफा सुरक्षित रखें।
5. आपके जिले में कुल स्वीकृत सीट से तीनगुना नामों की मेरिट सूची तैयार कर भेजी जावे।
6. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका पर ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम, पद स्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जावे।

7. पर्यवेक्षक एवं प्रश्न पत्रों के जांचकर्ता पृथक-पृथक रखे जाकर जांचकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम तथा पदस्थापना स्थान का प्रत्येक प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में उल्लेख किया जावे।
8. परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जावे।
9. परीक्षा आयोजन स्थल पर पेयजल, रोशनी एवं पृथक-पृथक बालक-बालिका शैचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।
10. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाये। छात्रों को एवं उनके पालकों को योजना के प्रति जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र योजना का लाभ लेने हेतु आगे आयें।
11. कंडिका 4 अनुसार पालकों की सहमति/आयकर दाता न होने का प्रमाण-पत्र, संस्था से ग्रामीण अंचल में होने का प्रमाण संबंधित जानकारी, जाति प्रमाण, अंकसूची में प्राप्तोंक संबंधी जानकारी, चयन परीक्षा के पूर्व से ही एकत्र कर पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे।
12. योजना एवं चयन परीक्षा की तिथि का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों, प्राचार्यों एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला की बैठक लेकर की जावे।
13. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् दो शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाकर उत्तर पुस्तिकाओं को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखें तथा परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्रों के परीक्षा परिणामों की कक्षा-6वीं (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक-पृथक सूची) की एक मेरिट सूची निर्धारित संलग्न प्रपत्र में, तैयार कर सी.डी. सहित बंद लिफाफे में हस्ताक्षर सहित विशेष वाहक के हस्ते दिनांक 18.03.2020 तक अनिवार्यतः मुख्यालय में पदस्थ योजना प्रभारी अधिकारी को देवें।
14. मेरिट लिस्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जाने पर मान्य होगी। त्रुटिपूर्ण या प्रपत्र से विसंगति होने पर मेरिट लिस्ट मान्य नहीं की जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक-पृथक कक्षावार सूची तैयार कर भेजी जावे। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दिए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही प्रस्तावित की जायेगी।

परीक्षा आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा एवं विभिन्न स्तर पर कार्य विभाजन एवं जिम्मेदारी देने हेतु कृपया जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्ष मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक शिक्षक रखे जाए। अतः परीक्षा केन्द्रों पर कड़ाई से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही कराया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी जाए। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निष्पक्ष व शत प्रतिशत निष्ठा द्वारा मूल्यांकन किया गया है यह सुनिश्चित कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(मुकेश कुमार बंसल)

आयुक्त

आदिम जति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला - को निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्ष मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारण किया जाए। अधिकारी के साथ एक बैठक कर योजना का प्रचार-प्रसार तथा प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु शालाओं का निर्धारण करने की कार्य योजना बना ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।



आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
(यथा संशोधित 2016)

कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा संबंधी नियम-निर्देश शिक्षण सत्र 2020-21

उद्देश्य :- योजना का उद्देश्य अनु. जन जाति, अनु. जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों के कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजनांतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

छात्रों के चयन का मापदण्ड/पात्रता शर्त :-

1. विद्यार्थी छ.ग. का मूल निवासी हो।
2. छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से में कक्षा 5 वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा चौथी की परीक्षा में 80% स अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है।
4. पालक की आय समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
5. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजनांतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत सीट का निर्धारण :-

1. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। सूची संलग्न है।
2. उपर्युक्त सीट संख्या के आधार पर यह आवश्यकता नहीं कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा।

प्रवेश परीक्षा का पैटर्न :-

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु -

1. कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20-20 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।
2. प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पृथक-पृथक होगा। छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर भरकर/अंकित कर उत्तर पुस्तिका परीक्षक को वापस करेंगे।
3. प्रश्न पत्र विद्यार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे।

आवेदन कैसे भरें :-

1. निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्त पूर्ण रहता है। अधूरे आवेदन अग्रेषित न किया जाए।
2. समस्त आवेदन पत्र जिले द्वारा निर्धारित विद्यालय में **दिनांक 20.02.2020 को 5.00 बजे शाम तक** जमा किये जा सकेंगे।
3. पालकों एवं विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने में प्रधान पाठक/शिक्षकगण संवेदनशीलता से सहयोग करें। प्रतिभावान विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
4. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी लिखने हेतु 'पैड' साथ में अवश्य लावें।

5. प्रवेश संबंधी चेक लिस्ट का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट		
क्रं	कार्यक्रम विवरण	तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की तिथि	20.02.2020
2	शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रप्रेषण	24.02.2020
3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करना	26.02.2020
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदनों की संख्या जिलावार विकास खण्डवार का प्रेषण (Mail/Fax) द्वारा	28.02.2020
5	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों/वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करना एवं परीक्षा केन्द्रवार विद्यार्थियों की संख्या, केन्द्राध्यक्ष का नाम/पद/मोबाईल नंबर आदि की जानकारी भेजना।	02.03.2020
6	राज्य मुख्यालय स्तर पर सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	04.03.2020 (कार्या.आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय रायपुर से प्राप्त करेंगे।)
7	जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन	07.03.2020, दोपहर 12:00 बजे से 2.00 बजे तक
8	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं परिणाम मुख्यालय को भेजना।	09.03.2020
9	दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना	16.03.2020
10	राज्य मुख्यालय को अंतिम मेरिट सूची भेजना (अनु.जाति एवं जनजाति वार) कक्षा 6वीं	18.03.2020
11	काउंसिलिंग की संभावित तिथि	पृथक से सूचित किया जाएगा।
12	कक्षाएँ प्रारंभ	अप्रैल 2020 में

विस्तृत विवरण :-

योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट WWW.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(मुकेश कुमार बंसल)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

छत्तीसगढ़ रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के
उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु (वर्ष 2020-21)

आवेदन-पत्र

आवेदन की अन्तिम तिथि : 20.02.2020

पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकायें जो
उस विद्यालय(जहाँ वह
कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा
है/रही है) के
प्रधानाचार्य से
सत्यापित हो

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

रोलनंबर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षा केन्द्र का नाम

:

.....

जिले का नाम

:

.....परीक्षा का माध्यम

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
- अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) :
3. पिता का नाम :
4. माता का नाम :
5. जाति (अ.ज.जा/अ.जा) :
- सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र सलग्न किया जाए.
6. पत्र व्यवहार का पता :
- :
7. मोबाईल न :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. जन्म तिथि (अंकों में) तिथि माह वर्ष

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9. जन्म तिथि (शब्दों में) :
10. उचित बाक्स में सही (✓)का निषान लगायें (अ) लिंग:- पुरुष महिला
11. कक्षा चौथी का प्राप्तांक : कुल पूर्णांक.....कुल प्राप्तांक..... प्रतिशतग्रेड.....
12. पालक की आय (स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाए)
13. विद्यालय किस निकाय के अंतर्गत आता है : ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/जनपद पंचायत.....

आवेदक/पालक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री/कु. पिता निवासी.....ग्राम.....
..... वि.ख..... जिला..... विद्यालय..... में वर्ष..... में कक्षा में अध्ययनरत
है विद्यार्थी द्वारा आवेदन में दिये गये विवरण का मैंने अभिलेखों से परीक्षण कर लिया है एवं विद्यार्थी
परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है।

शाला प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

टीप: कक्षा पांचवी में अध्ययनरत केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राएं ही आवेदन करें।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के
उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2020-21
आय हेतु स्वघोषणा पत्र

(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पिता उम्र
निवासी ग्राम दि.खं., जिला यह शपथ पूर्वक
घोषणा करता हूँ -

1. मेरा पुत्र/पुत्री ने वर्ष आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूँ एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूँ।
4. पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
पिता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय
माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
माता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय
पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय
परिवार के कृषि से आय
आवेदक की आय
कुल आय
5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है।
यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी,
जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

पालक का हस्ताक्षर नाम सहित

पालक द्वारा घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया है।

(शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के
उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का पावती
वर्ष 2020-21

पावती

पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकायें जो
उस विद्यालय(जहाँ वह
कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा
है/रही है) के
प्रधानाचार्य से
सत्यापित हो

श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री
का आवेदन पत्र आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के
उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में जिला (छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा
वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक को प्राप्त हुआ।

टीप :- विद्यार्थी को आबंटित परीक्षा केंद्र एवं रोल नंबर की जानकारी जिले के सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या शाला से परीक्षा दिनांक से एक
सप्ताह से पूर्व प्राप्त करें। जिन्हे प्रवेश पत्र ना मिला हो वे इस पावती के आधार पर परीक्षा में
शामिल हो सकते हैं। परीक्षा दिनांक 07.03.2020 को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक संबंधित केंद्र
में होगी।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

आवेदन पत्र पावती (कार्यालयीन प्रति)

श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री
का आवेदन पत्र आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के
उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में जिला (छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा
वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक को प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

कॉडिका क्रमांक	वर्तमान प्रावधान				संशोधित प्रावधान			
	1.	2.			3.			
	क्र.	जिला	अनु- जन जाति की निर्धारित सीट संख्या	अनु- जाति की निर्धारित सीट संख्या	क्र.	जिला	अनु- जन जाति की निर्धारित सीट संख्या	अनु- जाति की निर्धारित सीट संख्या
	1	2	3	4	1	2	3	4
	1.	सरगुजा	9	1	1.	सरगुजा	11	1
	2.	बलरामपुर	4	1	2.	बलरामपुर	5	1
	3.	सूरजपुर	4	1	3.	सूरजपुर	5	1
	4.	कोरिया	4	1	4.	कोरिया	5	1
	5.	बिलासपुर	4	3	5.	बिलासपुर	5	5
	6.	मुंगेली	1	2	6.	मुंगेली	1	3
	7.	कोरबा	6	2	7.	कोरबा	8	3
	8.	जांजगीरचांपा	2	4	8.	जांजगीरचांपा	2	5
	9.	रायगढ़	8	2	9.	रायगढ़	10	4
	10.	कवर्धा	2	2	10.	कवर्धा	3	3
	11.	दुर्ग	2	2	11.	दुर्ग	2	4
	12.	बेमेतरा	1	2	12.	बेमेतरा	1	4
	13.	बालोद	3	1	13.	बालोद	5	2
	14.	रायपुर	2	4	14.	रायपुर	2	5
	15.	गरियाबंद	3	2	15.	गरियाबंद	5	2
	16.	जशपुर	6	2	16.	जशपुर	9	2
	17.	महासमुंद	2	3	17.	महासमुंद	2	4
	18.	धमतरी	2	2	18.	धमतरी	3	3
	19.	जगदलपुर	8	2	19.	जगदलपुर	10	2
	20.	कोण्डागांव	4	1	20.	कोण्डागांव	5	1
	21.	कांकेर	5	1	21.	कांकेर	7	1
	22.	दंतेवाड़ा	4	1	22.	दंतेवाड़ा	5	1
	23.	सुकमा	3	1	23.	सुकमा	4	1
	24.	नारायणपुर	3	1	24.	नारायणपुर	4	1
	25.	बीजापुर	3	1	25.	बीजापुर	5	1
	26.	बलौदाबाजार	1	2	26.	बलौदाबाजार	1	4
	27.	राजनांदगांव	4	3	27.	राजनांदगांव	5	5
		योग	100	50		योग	130	70
5.2	कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु कुल 50 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर प्रवीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें 30 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 20 सीट अनुसूचित जाति के लिए होगी। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु जिलेवार आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखी गई है।				विलोपित किया जाता है।			

Am